राजकीय नेहरू संस्कृत महाविद्यालय, फागली, शिमला–171004 के छात्र निधि लेखों अवधि 04/2011 से 03/2013 का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

राजकीय नेहरू संस्कृत महाविद्यालय, फागली, शिमला–171004 में अवधि 04/2011 से 03/2013 तक निम्न अधिकारी प्रधानाचार्य व आहरण एवं सवितरण अधिकारी पद पर तैनात रहेः–

कम0सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	आचार्य चतर सिह ठाकुर	प्रधानाचार्य व आहरण एंव संवितरण अधिकारी	01.04.2011 से 09.01.2012
2	डॉ0 लीलाधर वात्स्यायन	प्रधानाचार्य व आहरण एंव संवितरण अधिकारी	10.01.2012 से 31.3.2013

राजकीय नेहरू संस्कृत महाविद्यालय, फागली, शिमला–171004 के छात्र निधि लेखों अवधि 04/2011 से 03/2013 तक की गम्भीर अंकेक्षण आपत्तियों का सारः–

कम0 सं0	अंकेक्षण आपति का संक्षिप्त	पैरा संख्याः	राशि (लाखों में)
1	उचित वित्तीय प्रबन्धन न करने के कारण व्याज के रूप में आर्थिक हानि	6	0.75
2	राजकीय कोष में जमा राशि का मिलान न करना	7	.095
3	विश्वविद्यालय शुल्क को विश्वविद्यालय को पुष्टि न करना	9	0.40
4	परीक्षा शुल्क की राशि विश्वविद्यालय को न भेजना	10	0.02
5	ट्युशन फीस की वसूली न करना	11	1.30
6	मिश्रित निधि से ऋण का अनियमित भुगतान	12 (क)	0.59
7	अनुपस्थिति दण्ड निधि की वसूली न करना	15	0.06

2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरों के निपटारे हेतु की गयी कार्यवाही का सत्यापन करने पर निम्नलिखित टिप्पणियां अपेक्षित हैं। अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(क) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 08/78 से 03/87</u>

1	पैरा 4	अनिर्णीत	
2	पैरा 5	निर्णीत	(₹250 कम वसूली की राशि दिनाँक 30–1–14 को मिश्रित निधि में जमा करने के उपरान्त)
3	पैरा 6,7	अनिर्णीत	
4	पैरा 7 (बी)	निर्णीत	(प्रस्तुत किये गये उतर के दृष्टिगत)
5	पैरा 8 (ए)	अनिर्णीत	
6	पैरा 8(बी)	निर्णीत	(₹100 दिनाँक 30.1.14 को मिश्रित निधि में जमा करने के उपरान्त)
7	पैरा 9	निर्णीत	(₹70 दिनाँक 30.1.14 को मिश्रित निधि में जमा करने के उपरान्त)
8	पैरा 10.12	अनिर्णीत	

(ख) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/91</u>

1	पैरा 5	अनिर्णीत	
2	पैरा 7	निर्णीत	(अपेक्षित वाऊचर/अभिलेख की जाँच उपरान्त)
3	पैरा 8	निर्णीत	(अपेक्षित वाऊचर/अभिलेख की जाँच उपरान्त)
4	पैरा 10	निर्णीत	(₹462 में से ₹400 के बिल/वाऊचर प्रस्तुत करने पर तथा शेष ₹62 की राशि भवन निधि में जमा करने के उपरान्त)
5	पैरा 11	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
6	पैरा 12	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)

(ग) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/93</u>

1	पैरा 5 से 6, 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8, 9 औंर 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11 (1) (3)	अनिर्णीत

(घ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2001 से 03/2002</u>

1	पैरा 5	अनिर्णीत	
2	पैरा 6	निर्णीत	(₹7424.80+80415 दिनाँक क्रमश 1.5.12 व 3.5.

			12 को मिश्रित निधि में जमा करने के उपरान्त)
3	पैरा 7	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर एवं अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
4	पैरा 8	निर्णीत	(₹69476 को चालान संख्याः 66 दिनाँक 17.5.12 द्वारा राजकीय कोष में जमा करने के उपरान्त)
5	पैरा 9	निर्णीत	(दिनाँक 1.5.12 को रेड क्रॉस निधि के ₹1316. 40 व स्वास्थ्य निधि के ₹2658 मिश्रित निधि में जमा करने के उपरान्त)
6	पैरा 10	निर्णीत	(वर्ष 2012–13 से अपेक्षित कार्यावाही करने के उपरान्त)
7	पैरा 11	अनिर्णीत	

(ड) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2005</u>

1	पैरा 6	निर्णीत	(वर्ष 2012–13 से अपेंक्षित अभिलेख का रख–रखाव करने के उपरान्त)
2	पैरा 7	निर्णीत	(विलम्ब से जमा राशियों पर ₹850 की ब्याज की एक मुश्त राशि मिश्रित निधि में जमा करने के उपरान्त)
3	पैरा 8	अनिर्णीत	
4	पैरा 12(क)	निर्णीत	(अपेंक्षित कार्यवाही उपरान्त)
5	पैरा 12 (ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 12 (ग)	निर्णीत	(अपेंक्षित कार्यवाही उपरान्त)
7	पैरा 13(क)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही/अनुपालना उपरान्त)
8	पैरा 13 (ख)	निर्णीत	(₹375 की अधिक भुगतान की गई राशि को अब मिश्रित निधि में जमा करने के उपरान्त)
9	पैरा 14	निर्णीत	(अपेंक्षित कार्यवाही उपरान्त)
10	पैरा 15	अनिर्णीत	

(च) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2011</u>

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹33.000 बैक ड्रफ्ट संख्या 142001, दिनाँक 1.8.2011 द्वारा भेजने के

			उपरान्त)
2	पैरा 4 (1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति पैरा संख्याः 4 मे वर्णित है)
3	पैरा 4(2)	निर्णीत	(₹7424.80+80415 दिनाँक क्रमश 1.5.12 व 3.5.12 को मिश्रित निधि में जमा करने के उपरान्त)
4	पैरा 5	निर्णीत	(₹69476 चालान संख्याः 66 दिनाँक 17.5.12 द्वारा राजकीय कोष में जमा करने के उपरान्त)
5	पैरा 6, 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	निर्णीत	(अपेंक्षित कार्यवाही प्रारम्भ करने के उपरान्त)
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	निर्णीत	(अपेंक्षित कार्यवाही उपरान्त)
9	पैरा 11	निर्णीत	(निर्णीत वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है)
10	पैरा 12	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है)

भाग–दो

3 वर्तमान लेखा परीक्षाः–

राजकीय नेहरू संस्कृत महाविद्यालय, फागली, शिमला–171004 के छात्र निधि लेखों अवधि 04/2011 से 03/2013 को वर्तमान लेखा परीक्षा श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनाँक 21.01.2014 से 30.01.2014 तक किया गया। आय के लिए माह 06/2011 व 06/2012 के लेखों एवं व्यय के लिए माह 12/2011 व 03/2013 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में दिखाया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश संस्था द्वारा दी गयी गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिये उतरदायी नही होंगा।

4 <u>लेंखा परीक्षा शूल्कः–</u>

राजकीय नेहरू संस्कृत महाविद्यालय, फागली, शिमला–171004 के छात्र निधि लेखों अवधि 04/2011 से 03/2013 का अंकेक्षण शुल्क ₹8,000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के पत्र संख्याः 07/2014 दिनाँक 28–1–2014 द्वारा अंकेक्षण शुल्क को बैक ड्राफ्ट/बैक चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को शीघ्र भेजने हेतु अनुरोध किया गया। तदानुसार संस्था द्वारा इस राशि को चैक संख्याः 504281, दिनाँक 28.1.2014 द्वारा भेज दिया गया है।

5 <u>वित्तीय स्थितिः–</u>

वर्ष 2011–12 व 2012–13 की वित्तीय स्थिति का छात्र निधिवार विवरण परिशिष्ट–"क" के पृष्ठ– 1 से 2 पर दिया गया है।

6 <u>उचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव ₹75260 की वित्तीय हानिः–</u>

अंकेक्षणाधीन अवधि में महाविद्यालय की छात्र निधियों में लाखों रूपये की राशि बचत खाते में शेष पडी थी जिससे सामान्य दर पर ब्याज की प्राप्ति हा रही है। यदि इन राशियों मे से यदि आवश्यकतानुसार राशि सावधि जमा में निवेश की जाती तो संस्था को ₹75,260 की ब्याज से अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। परन्तु उचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में संस्था की उक्त ब्याज राशि की हानि उठानी पडी। अतः पाई गयी त्रृटि बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में आवश्यकतानुसार छात्र निधियो में जमा राशियों का सावधि जमा में निवेश किया जाये ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय की प्राप्त की जा सके।

दिनाँक	शेष जमा राशि (₹)	75% राशि जो सावधि जमा में निवेश की जा सकता थी (₹)	सावधि जमा पर सम्भावित प्रचलित ब्याज दर	एक वर्ष की सवधि जमा पर ब्याज की हानि (₹)	वर्ष 2011–12 व 2012–13 में बचत खातों से प्राप्त ब्याज राशि (₹)	शुब्द ब्याज राशि की हानि (₹) (6.7)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2011	13,61,344	10,21,000	9%	95,038	58,402	36,636
1.4.2012	15,11,761	11,33,000	9%	1,05,463	66,839	38,624
			कुल	**2,00,501**	**1,25,241**	**75,260**

7 **₹94,806 चालान से जमा की गई राशि को राजकीय कोष से मिलान न करनाः—**

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान प्रवेश शुल्क एवं विलम्ब शुल्क इत्यादि से प्राप्त आय ₹94806 को निम्नविवरणानुसार चालान के माध्यम से सरकारी कोष में जमा किया जाना था। परन्तु इन जमा राशियों का राजकीय कोष से मिलान नही किया गया जिससे अभाव में राशियों के वास्तविक जमा पुष्टि नही की जा सकी अतः उक्त जमा राशियों का राजकीय कोष से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाएः—

कम0स0	चालान संख्या	दिनाँक	बैक ट्रेजरी में जमा राशि
1	93	18.6.11	4095
2	136	21.6.11	1620
3	146	1.7.11	3465
4	256	4.7.11	2630
5	67	1.9.11	4210
6	246	7.9.11	50
7	213	25.11.11	100
8	66	17.5.12	69476
9	113	16.6.12	250
10	162	20.6.12	525
11	201	21.6.12	500
12	236	23.6.12	510
13	178	28.6.12	1930
14	288	2.7.12	2445
15	85	2.8.12	200
16	211	3.10.12	2500
17	249	27.11.12	100
18	150	1.12.12	100
19	298	27.12.12	100
		कुल	**94806**

8 **₹80,415 की राशि पर ब्याज प्राप्त न करनाः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि डाक घर में विभिन्न निधि बचत खातों में निम्नविवरणानुसार ₹80415 जमा थे। इन जमा राशियों को दिनाँक 03.05.2012 को महाविद्यालय की मिश्रित निधि के हि0प्र0 राज्य सरकारी बैक बचत खाता संख्या 1420101400 में हस्तान्तरित/जमा किया गया। परन्तु जाँच करने पर पाया गया कि डाकघर द्वारा अवधि 1.4.11 से 3.5.12 तक जमा रही राशि पर कोई भी ब्याज नही दिया गया था। यह अनियमित है अतः यह मामला डाकघर के उच्च अधिकारियों के साथ गम्भीरता से उठाया जाए ताके अपेक्षित ब्याज की राशि की वसूली की जा सके।

क्रम0स0	निधि का नाम	डाकघर बचत खाता संख्या	दिनाँक 31.3.11 को डाकघर में शेष राशि	दिनाँक 3.5.12 को मिश्रित निधि में हस्तान्तरित शेष राशि
1	स्वास्थ्य निधि	746212	7695.70	7695.70
2	भवन निधि	746213	52189.65	52189.65
3	मिश्रित निधि	746214	6426.85	6426.85
4	ऑडियों–विजुअल निधि	746395	7110.35	7110.35
5	रेड–कॉस निधि	746396	6992.45	6992.45
		कुल	**80415.00**	**80415.00**

9 **₹40,289 विश्वविद्यालय शुल्क हि0प्र0 विश्वविद्यालय को प्रेषित न करनाः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सत्र 2012–13 में विश्वविद्यालय पंजीकरण/पुनः पंजीकरण शुल्क, कंटी न्यूशन शुल्क एंव परीक्षा शुल्क की अविध 16.6.12 से 30.9.13 तक एकत्रित ₹40,289 की राशि को विश्वविद्यालय को प्रेषित न करके हि0प्र0 राज्य सरकारी बैक के बचत खाता संख्याः 1420105655 में जमा रखा गया था। उपरोक्त शुल्क छात्रों से महाविद्यालय में प्रवेश के समय प्राप्त करके बैक में जमा रखे गये तथा वर्ष के अन्त में वार्षिक परीक्षा देने वाले छात्रों के शुल्क ही उनके परीक्षा फार्मों के साथ विश्वविद्यालय को भेजे गये। जो छात्र महाविद्यालय छोड़ कर चले गये उनका शुल्क नही भेजा गया था बैंक में ही जमा रखा गया। इस वारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹40,289 की बैंक में जमा

पडी उपरोक्त शुल्को की राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार महाविद्यालय मे जमा किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

10 **<u>₹2,200 परीक्षा शुल्क की राशि को विश्वविद्यालय न भेजनाः–</u>**

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि सत्र 2011–12 में 182 छात्र–छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लिया गया। जबकि अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय की परीक्षा शुल्क की राशि छात्रों से महाविद्यालय में प्रवेश के समय ही वसूल कर ली जाती है जिससे स्पष्ट होता है कि यह राशि सभी 182 छात्र–छात्राओं से वर्ष के प्रारम्भ में ही वसूल की गयी थी। परन्तु वर्ष के अन्त में केवल 127 छात्रों की परीक्षा शुल्क ₹5,060 विश्वविद्यालय को अग्रेषित किये गये। इस प्रकार 55 छात्रों से वसूल की गई की परीक्षा शुल्क ₹2,200 (55x₹40 प्रति छात्र) की राशि विश्वविद्यालय को नही भेजी गयी जो कि अनियमित ही नही अपितु गम्भीर आपतिजनक भी है। अतः पाई गयी अनियमितता बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये तथा ₹2,200 हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

11 **<u>₹1,29,600 ट्युशन फीस की वसूली न करनाः–</u>**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2011–12 व 2012–13 में प्रधान सचिव (शिक्षा) हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः ई0डी0एन0–ए0 ख (8) 1/2001, दिनाँक 1.6.2010 द्वारा निर्धारित ₹50 प्रति माह की दर से ₹1,29,600 ट्युशन फीस की राशि छात्रों (Boys) से वसूल नही की गयी थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। उक्त शुल्क को वसूल न करने के सक्षम अधिकारी के छूट सम्बन्धि कोई भी आदेश इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये। अतः ₹1,29,600 की उक्त शुल्क की वसूली न करना न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जायेः

वर्ष	छात्रों (**Boys**) की संख्या	शुल्क प्रति माह (₹)	कुल वार्षिक शुल्क देय (₹)	कुल राशि जिसकी वसूली नही की गयी (₹)
2011–12	123	50	600	73800
2012–13	93	50	600	55800
			कुल	**129600**

12 **मिश्रित निधिः–**

(क) ₹59,006 मिश्रित निधि से ऋण के रूप में अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2011–12 व 2012–13 के दौरान कार्यलय के टेलीफोन/ बिजली बिलो इत्यादि का भुगतान करने हेतु मिश्रित निधि से अनेकों बार अस्थाई ऋण के रूप में राशियाँ आहरित की गयी जिनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है यद्यपि इन अस्थाई ऋण की राशियों को जिला कोष कार्यालय से टेलिफोन/बिजली के बिल पारित होने के पश्चात पुनः मिश्रित निधि में जमा कर दिया गया था। परन्तु इस प्रकार के मिश्रित निधि से ऋण का कोई प्रावधान नही है। अतः प्रावधनों के विपरीत ऋण प्रदान करना अनियमित ही नही बल्कि आपतिजनक भी है। अतः पाई गयी अनियमितता बारे पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये। साथ ही सुझाव दिया जाता है की भविष्य मे इस प्रकार के ऋण बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के भुगतान पर रोक लगाई जाए।

क0सं0	ऋण की राशि (₹)	ऋण प्रदान करने की दिनाँक	ऋण की राशि जो वापिस की गयी (₹)	वापसी दिनाँक
1	2247.00	29.12.11	2247.00	28.3.12
	3184.00	25.4.12	3682.00	12.6.12
	2436.00	26.5.12	1938.00	30.7.12
	1778.00	14.5.12	1778.00	1.3.13
	2188.00	25.7.12	2188.00	22.8.12
	2104.00	27.8.12	2104.00	3.9.12
	3553.00	26.9.12	3553.00	7.11.12
	2028.00	25.10.12	10000.00	29.12.12
	3176.00	31.10.12	27009.00	4.4.13
	14507.00	7.11.12	4507.00	13.6.13
	2188.00	27.11.12		
	2744.00	27.12.12		
	2760.00	21.1.13		

	1023.00	26.2.13	
	3387.00	19.3.13	
	9703.00	21.3.13	
कुल	**59006.00**		**₹59006.00**

(ख) <u>वाऊचर संख्याः शून्य, दिनाँक 14.12.2011 ₹31,700/–</u>

उपरोक्त वाउचर द्वारा मिश्रित निधि से ₹31,700 की राशि का भुगतान प्रबन्धक हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, ग्रामीण यूनिट ढली, शिमला को छात्रों के दिनाँक 16.12.11 से 19.12.11 तक शिमला से नैनीताल एवं वापसी के शैक्षणिक टूर की रियायती टूर टिकट क्रय करने हेतु किया गया। परन्तु अवलोकन करने पर पाया गया कि अभिलेख में केवल उपरोक्त रियायती टूर टिकट की कार्बन कॉपी संलग्न थी जिसे आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त किन–किन व कितने छात्रों द्वारा यात्रा की गयी का भी कोई अभिलेख संलग्न नही था जिससे अभाव में वास्तव में की गयी यात्रा की पुष्टि न हो सकी। परिणामस्वरूप अपेक्षित अभिलेख के बिना उक्त व्यय को न्यायोचित ठहराना तर्कसंगत नही है। अतः पाई गयी त्रटि बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा किये गये उक्त व्यय को न्यायोंचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित वसूली स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(ग) महाविद्यालय द्वारा मिश्रित निधि से हि0प्र0 मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला को पांच निधि सग्रह रजिस्टर व पांच पुस्कतकालय प्रतिभूजित रजिस्टर क्रय करने हेतु ₹4130 का भुगतान बिल संख्याः 0008548, दिनाँक 22.2.13 द्वारा किया गया। परन्तु उक्त बिल को प्राचार्य/आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं पारित नही किया गया था। जिसे अब सत्यपित/पारित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

13 <u>पुस्तकालय प्रतिभूति निधिः–</u>

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान पुस्तकालय प्रतिभूति निधि की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 13.3.013 को ₹2,68,941 की राशि जमा थी परन्तु महाविद्यालय द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर दिनाँक 14.6.2012 से तैयार किया गया था। अवधि 1.4.2011 से 13.6.2012 तक का रजिस्टर तैयार नही किया गया था जिसके परिणामस्वरूप यह पुष्टि नही की जा सकी कि उक्त निधि में किन–किन छात्रों द्वारा राशि जमा करवाई गयी थी, वर्षवार जमा राशि की क्या स्थिति थी किन–किन छात्रों की जमा राशि दो वर्षो पश्चात भी

क्लेम न करने पर जब्त योग्य थी। उक्त अवधि का पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर तैयार किया जाना अत्यंत आवश्यक है क्योकि निदेशक, उच्च विभाग शिक्षा, हि0प्र0 के पत्र संख्या ई0डी0एन0(8)बी0(4)28/08–बजट–लिब, दिनाँक 26–3–2009 के अनुसार यदि कोई छात्र कॉलेज छोडने के दो वर्ष के भीतर पुस्तकालय प्रतिभति की राशि वापिस लेने हेतु आवेदन नही करता तो उसकी पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा जब्त राशि का उपयोग कॉलेज पुस्तकालय के विकास के लिए किया जायेगा। अतः पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर तैयार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये, अवधि 1.4.11 से 13.6.12 तक का रजिस्टर तुरन्त तैयार किया जाये तथा पुस्तकालय प्रतिभूति की जब्त राशि को उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों अनुसार उपयोग में लाया जाये। अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

14 सांस्कृतिक निधि (Cultural Activity Fund):–

महाविद्यालय के दस छात्र–छात्राओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निम्न विवरणानुसार दस पोशाकें क्रय की गयीं जिसका बिल सं0 915, दिनाँक 9.12.2011 द्वारा ₹15.750 का भुगतान/व्यय किया गया। परन्तु अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कब, कहाँ और किस तिथि को आयोजित हुआ का कोई भी सम्दर्भ/अभिलेख नस्ति में नही था। इसके अतिरिक्त पोशाकों को क्रय करने हेतु न तो निविदाऐ आंमत्रित की गयी थीं तथा न ही इनकी स्टॉक प्रविष्टयां की गयी थी जोकि अनियमित हैं। अतः पाई गयी त्रुटियों/अनियमिताओं के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये। साथ ही बिना निविदाओं के किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाये, कार्यक्रम के आयोजन का अपेक्षित सन्दर्भ अभिलेख में दिया जाये तथा स्टॉक रजिस्टर मे स्टॉक प्रविष्टियां की जाए और प्रविष्टियॉ भण्डारण रजिस्टर में सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाया जाए अन्यथा व्यय की गई राशि दोषी अधिकारी कर्मचारी से वसूल की जाए।

फर्म का नाम	बिल सं0 व दिनाँक	क्रय की गयी मद का विवरण	राशि (₹)
मै0 हाउस मल तानी मल वस्त्र विक्रेता, लोअर, बाजार शिमला	915 9.12.2011	5 छात्राओं की पोशाके तथा 5 छात्रों की पोशाकें	15,750

15 <u>अनुपस्थिति दण्ड निधि :–</u>

₹5800 अनुपस्थिति दण्ड निधि छात्रों से वसूल न करना:–

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2011–12 के दौरान निम्न छात्र–छात्राओं से अनुपस्थिति दण्ड की देय राशि ₹5800 की वसूली नही की गयी थी। अतः उक्त दण्ड की वसूली न करना अनियमित ही नही अपितु गम्भीर आपतिजनक भी है। इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित खाते में जमा करवाया जाए।

क्रम0स0	छात्र का नाम	कक्षा	अनुपस्थिति दण्ड जिसकी वसूली नही की गयी (₹)
1	पवन कुमार	शास्त्री–III	150
2	रविन्दर सिह	शास्त्री–III	95
3	गोविन्द राम	शास्त्री–III	25
4	जगभूषण	शास्त्री–I	140
5	विनोद कुमार	शास्त्री–I	220
6	संगीता	शास्त्री–I	145
7	पंकज शर्मा	शास्त्री–I	150
8	कुलदीप शर्मा	शास्त्री–I	175
9	किशन लाल	शास्त्री–I	140
10	केसंग लामो	शास्त्री–I	120
11	दीपक शर्मा	शास्त्री–I	220
12	रिश लाल	शास्त्री–I	120
13	सन्दीप	शास्त्री–I	90
14	देवेन्दर	शास्त्री–I	195
15	सतीश	शास्त्री–I	75
16	इन्द्रजीत	शास्त्री–I	275
17	विरेन्दर	शास्त्री–I	155
18	अमित कुमार	शास्त्री–I	45

19	हरिता देवी	शास्त्री–I	135
20	सुरेश	शास्त्री–I	275
21	अजय शर्मा	शास्त्री–I	185
22	अनुराधा देवी	शास्त्री–I	55
23	सन्धीरा देवी	शास्त्री–I	45
24	कविन्द्रा	प्राक शास्त्री–I	275
25	पंकज	प्राक शास्त्री–I	55
26	पवन	प्राक शास्त्री–I	185
27	रविन्दर	प्राक शास्त्री–I	70
28	भुपिंदर	शास्त्री–II	240
29	मोहित	शास्त्री–II	80
30	वीना देवी	शास्त्री–II	55
31	विवके हरग	शास्त्री–II	45
32	मुकेश	शास्त्री–II	40
33	मोहन प्रकाश	शास्त्री–II	60
34	विकास	शास्त्री–II	60
35	नितिन शर्मा	शास्त्री–II	90
36	शकुन्तला देवी	शास्त्री–II	115
37	प्रदीप	शास्त्री–II	160
38	रूपिन्दर सिह	शास्त्री–II	115
39	निशा ठाकुर	शास्त्री–II	155
40	मनीष	प्राक शास्त्री–II	85
41	आरती कुमारी	प्राक शास्त्री–II	255
42	सोनु	प्राक शास्त्री–II	190
43	पुष्पेदर	प्राक शास्त्री–II	140
		कुल	5800 / –

16 विवरणिका निधि (**Prospectus Fund**) :–

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि विवरणिका रजिस्टर के पूष्ठ–9 के अनुसार शैक्षिणिक सत्र 2011–12 में 188 विवरणिकाओं का ₹30 प्रति विवरणिका की दर से छात्रो को विक्रय किया गया जिससे ₹5640 प्राप्त हुये। परन्तु राशि से ₹2291 की राशि का कार्यालय के टेलिफोन बिल सं0 00017, दिनॉंक 13.6.11 का सीधा भुगतान किया गया तथा शेष ₹3349 ही दिनॉंक 3.11.2011 को निधि में जमा की गयी। कार्यालय के टेलीफोन बिल का भुगतान इस निधि पर उचित प्रभार नही था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

17 गृह–परीक्षा निधि :–

वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में गृह परीक्षा आयोजित करने हेतु गृह परीक्षा निधि से ₹5441 का व्यय विभिन्न/निम्न प्रकार का सामान क्रय करने हेतु किया गया। परन्तु क्रय किये गये सामान की न तो स्टॉक प्रविष्टि की गयी थी और न ही परीक्षा के दौरान आगामी खपत का अभिलेख तैयार किया गया था जो कि अनियमित है। अतः पाई गयी अनियमितता बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये। इसके अतिरिक्त क्रय किये गये सामान की स्टॉक प्रविष्टियॉ अब की जाए और प्रविष्टियाँ भण्डारण रजिस्टर में सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाया जाऐ अन्यथा इन वस्तुओं पर व्यय की गई राशि दोषी अधिकारी कर्मचारी से वसूल की जाए।

क्रम0स0	फर्म का नाम	बिल सं0 व दिनॉक	क्रय की गई मद का विवरण	राशि (₹)
1	मै0 हरी दास एडं कम्पनी, शिमला	37341 25.11.11	2 बॉक्स सफेद चाक	40
2	मै0 ज्ञान पुस्तक भण्डार, शिमला	492 5.12.11	1 रबड स्टैम्प	40
3	मै0 शिमला स्टेशनर्स, शिमला	47875 20.12.11	विविध स्टेशनरी आइटम्स	2251
4	मै0 जे0 एस0 वी0 कम्युनिकेशन, समरहिल, शिमला	1307 20.12.11	1 फोटो कोपियर	400

			कुल (क)	**2731**
5	मै0 शिमला स्टेशनर्स, शिमला	56907 7.12.12	विविध स्टेशनरी आइटम्स	620
6	मै0 शिमला स्टेशनर्स, शिमला	56903 7.12.12	4 रिम फोटोस्टेट	1040
7	मै0 जे0 एस0 वी0 कम्युनिकेशन, समरहिल, शिमला	3050 8.12.12	1 फोटो कोपियर	1050
			कुल (ख)	**2710**
			कुल (क)+(ख)	**5441**

18 <u>पत्रिका निधि एंव पहचान पत्र निधि बारेः–</u>

वर्ष 2011–12 व 2012–13 में छात्र–छात्राओं से पत्रिका निधि एंव पहचान पत्र निधि की राशियाँ वसूल की गयीं परन्तु इन वर्षो में न तो कोई पत्रिका और न ही कोई पहचान पत्र छपवाए गये जिससे उक्त स्थापित निधियों का उद्वेश्य पूर्ण नही होता। अतः पाई गयी त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाऐ तथा भविष्य में पत्रिकाएं एंव पहचान पत्र छपवाए जाने सुनिश्चित किये जाये ताकि उक्त निधियों का उद्वेश्य पूर्ण हो सके। इसकी अनुपालना अंकेक्षण को भी दिखाई जाये।

19 <u>रसीद बुकेंः–</u>

महाविद्यालय द्वारा छात्रों से विभिन्न निधियाँ प्राप्त करने हेतु समय–समय पर रसीद बुंके छपवाई गयी थीं परन्तु इन रसीद बुकों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया था जोकि अनियमित हैं। केवल वर्ष 2012 में छपवाई गयी दस रसीद बुकों की प्रविष्टि अंकेक्षण के दौरान नये स्टॉक रजिस्टर में करवाई गयी। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी अंकेक्षण द्वारा आपति उठाई गयी थी परन्तु महाविद्यालय द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नही की गया। अतः महाविद्यालय द्वारा छपवाई गयी समस्त रसीद बुंकों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में क्रमवार दर्ज करके इनका उपयोग सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में भी रसीद बुंकों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट करना व उपयोगानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसकी अनुपालना अंकेक्षण को भी दिखाई जाये।

20 स्टॉक रजिस्टरः–

स्टॉक रजिस्टर की जॉच पडताल करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव सही ढंग से नही किया गया था। खरीदे गये विभिन्न सामान की प्रविष्टि एक साथ एक ही पृष्ठ पर की गयी थी। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी अंकेक्षण द्वारा आपति उठाई गयी थी परन्तु इस बारे कोई अपेंक्षित कार्यवाही नही की गयी। अंकेक्षण के दौरान क्रय की गयी कुछ मदों की उदाहरणस्वरूप नये स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज करवाई गयीं। इसके अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर का कभी भी वार्षिक भौतिक सत्यापन नही किया गया था। अतः पाई त्रुटियों बारे पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये तथा भविष्य में उक्त रजिस्टर का सही ढ्रग से रख–र.खाव किया जाये जिसका नियमानुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन भी किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

27. **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नही की गई है लघु आपतियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया।

28 **निष्कर्षः–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है। वर्षो से लम्वित पडे अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(xi)(i)174/87 खण्ड–2, दिनांक, 24.04.2013 शिमला–09.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 प्राचार्य राजकीय नेहरू संस्कृत महाविद्यालय, फागली, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गयी कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

2 निदेशक, शिक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–171001.

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.